

शिक्षा विभाग, बिहार
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संचिका संख्या— 8 /आ०5—82 /2016..... /श्री शिव शंकर चौधरी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, धनरुआ, पटना को निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के धावा दल द्वारा दिनांक 26.10.2016 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत हिरासत में भेजे जाने की तिथि 26.10.2016 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन—यापन भत्ता अनुमान्य होगा।

ह०/-

(एम० रामचंद्रदुडु)

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

पटना, दिनांक २३/११/१६

ज्ञापांक 1018

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), विहार, पटना को उनके पत्रांक 2540 दिनांक 02.11.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि श्री शिव शंकर चौधरी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 30.09.2016 के स्थान पर दिनांक 26.10.2016 अंकित किये जाने संबंधी शुद्धि पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

2. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री शिव शंकर चौधरी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, धनरुआ, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)
अझार